

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No.2013/TG-I/12/2/DDQ

New Delhi, dated 5.3.2015

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways

Commercial Circular No.12 of 2015

Sub: Delegation of power to earmark/enhance Defence Deptt Quota to Zonal Railways.

As per extant provisions, earmarking/enhancement of Defence Deptt Quota is done by Ministry of Railways on receipt of requests on this account from Defence authorities. Zonal Railways have however, been authorised to reduce Defence Deptt Quota if the same is not being utilised as per extant norms.

2. It has been observed in past that whenever requests for enhancement of Defence quota are received from Defence authorities, the same are forwarded to Zonal Railways for their comments, which are then examined and decided upon in Board's office. The process is time consuming and involves duplicity of work.

3. In view of the above, it has been decided that the power of earmarking/enhancement of Defence Department Quota be delegated to Zonal Railways concerned, who may be allowed to do so on receipt of request from Defence Authorities, keeping in view the following:-

- (i) If the utilisation in general quota during the previous financial year has been more than 90%, no DD quota should be earmarked
- (ii) If the utilisation is less than 90% during the previous financial year, the Railways may take a decision to earmark Defence Deptt Quota in such a way that it should not adversely affect the availability of general reservation quota.
- (iii) A watch may be kept on the utilisation of Defence Deptt Quota and necessary adjustments to be made as per following norms:-


Utilisation %age	Action to be taken
upto 10%	Existing quota to be fully withdrawn.
between 10 & 30%	Quota to be reduced by 50%.
more than 30%	No change

4. Necessary instructions in this regard may be issued to all concerned.



(Dr S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy for information to: Director (Rail & Air), Directorate of OL & SM, Army
Headquarters, New Delhi



(Dr S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy for information and necessary action to:-

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all zonal railways.
2. GM/PRS, CRIS
3. GGM/IT, IRCTC, State Entry Road, New Delhi
4. ADG/PR,EDV(T), DVT-II, OSD/TC, TG-V, V(SS) & PR branches of Railway Board.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Training Centers, CR/Bhusaval, ER/Dhanbad, NR, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, SR/ Trichy, SE Railway, Sini, WR, Udaipur.
7. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
8. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
9. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.365-A, Rail Bhawan, New Delhi.
10. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, All India RPF Association, Room No.549, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, National Federation of Railway Pensioners' Organization, 825, Supertech Residency, Sector-5,plot No. 6 A, Ghaziabad-201010.
13. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

सं. 2013/टीजी-1/12/2/डीडीक्यू

नई दिल्ली, दिनांक 5.3.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 12

विषय: क्षेत्रीय रेलों को रक्षा विभाग का कोटा निर्धारित करने/बढ़ाने की शक्ति प्रदान करना।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, रक्षा विभाग का कोटा रक्षा प्राधिकारियों से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता/बढ़ाया जाता है। बहरहाल, यदि मौजूदा मानकों के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय रेलों को रक्षा विभाग का कोटा कम करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. विगत में यह देखा गया है कि जब कभी रक्षा प्राधिकारियों से रक्षा कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं तो वे क्षेत्रीय रेलों को अपनी टिप्पणी देने के लिए भेज दिए जाते हैं जिनकी बाद में बोर्ड कार्यालय में जांच की जाती है और उन पर निर्णय लिया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है और उसमें दोबारा कार्य होने की संभावना होती है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि रक्षा विभाग का कोटा निर्धारित करने/बढ़ाने की शक्ति संबंधित क्षेत्रीय रेलों को दी जाए, जिन्हें रक्षा प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने के लिए अनुमति दी जा सकती है:

- (i) यदि पिछले वित्त वर्ष के दौरान सामान्य कोटा का 90% से अधिक उपयोग हो तो रक्षा विभाग का कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) यदि पिछले वित्त वर्ष के दौरान सामान्य कोटा का 90% से कम उपयोग हो तो रेलवे, रक्षा विभाग के कोटा को इस प्रकार निर्धारित करने का निर्णय ले जिससे इसका सामान्य आरक्षण कोटा की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iii) रक्षा विभाग के कोटे के उपयोग पर नजर रखी जाए और निम्नलिखित मानकों के अनुसार आवश्यक समायोजन किया जाए:-

उपयोग का प्रतिशत	की जाने वाली कार्रवाई
10% तक	मौजूदा कोटा पूर्णतः वापस लिया जाए
10 और 30% के बीच	कोटा 50% तक कम किया जाए
30% से अधिक	कोई परिवर्तन नहीं

4. इस संबंध में सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(डॉ. एस. के. अहिरवार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/टीजी-1/12/2/डीडीक्यू

नई दिल्ली, दिनांक 5.3.2015

सूचनार्थ प्रतिलिपि: निदेशक (रेल एण्ड एयर), ओएल एण्ड एसएम निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली.

(डॉ. एस. के. अहिरवार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), डीवीटी-II, और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं. 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन
- 14) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इण्डिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन